



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 17 अक्टूबर, 2006 ई0

आश्विन 25, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 838/विधायी एवं संसदीय कार्य/2006

देहरादून, 17 अक्टूबर, 2006

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल विनियोग (2006-2007 का अनुपूरक) विधेयक, 2006 पर दिनांक 15 अक्टूबर, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 11, सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है-

उत्तरांचल विनियोग (2006-2007 का अनुपूरक) अधिनियम, 2006

(अधिनियम संख्या 11, वर्ष 2006)

31 मार्च, 2007 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में उत्तरांचल राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित-

1-यह अधिनियम उत्तरांचल विनियोग (2006-2007 का अनुपूरक) अधिनियम, संक्षिप्त नाम 2006 कहलायेगा।

उत्तरांचल की
समेकित निधि में
से वर्ष 2006-
2007 के लिये
रु0
10434025000
का दिया जाना

विनियोग

2-ऐसे विविध परियोजनाओं के लिये जो 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तरांचल की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग रु0 10434025000 (रुपये एक हजार तैंतालीस करोड़ चालीस लाख पच्चीस हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपये में)			
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर	योग भारित	
1	2	3			
01.	विधान सभा	राजस्व	22600	360	22960
		पूँजी			0
02.	राज्यपाल	राजस्व	0	626	626
		पूँजी			0
03.	मंत्रिपरिषद्	राजस्व	66182		66182
		पूँजी			0
04.	न्याय प्रशासन	राजस्व	45080	9900	54980
		पूँजी			0
06.	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	639089	735	639824
		पूँजी	19225		19225
07.	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	1090223	35000	1125223
		पूँजी	135500		135500
08.	आबकारी	राजस्व	500		500
		पूँजी			0
10.	पुलिस एवं जेल	राजस्व	18057		18057
		पूँजी	166923		166923
11.	शिक्षा, खेल, युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	971546		971546
		पूँजी	499700		499700
12.	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	456356		456356
		पूँजी	226000		226000
13.	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	945370		945370
		पूँजी			0
14.	सूचना	राजस्व	20000		20000
		पूँजी			0
15.	कल्याण योजनायें	राजस्व	628090		628090
		पूँजी	91000		91000

1	2	3		
16.	श्रम और रोजगार	राजस्व	76153	76153
		पूँजी		0
17.	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	राजस्व	509632	509632
		पूँजी	6080	6080
18.	सहकारिता	राजस्व	36078	36078
		पूँजी	80000	80000
19.	ग्राम्य विकास	राजस्व	463676	463676
		पूँजी	30000	30000
20.	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	33682	33682
		पूँजी	250000	250000
21.	ऊर्जा	राजस्व		0
		पूँजी	49600	49600
22.	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	205553	205553
		पूँजी	460542	460542
23.	उद्योग	राजस्व	7710	7710
		पूँजी	10000	10000
24.	परिवहन	राजस्व	4400	4400
		पूँजी	627310	627310
25.	खाद्य	राजस्व	3130	3130
		पूँजी		0
26.	पर्यटन	राजस्व	2200	2200
		पूँजी	155000	155000
27.	वन	राजस्व	394600	394600
		पूँजी		0
28.	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	139612	139612
		पूँजी		0
29.	औद्यानिक एवं रेशम विकास	राजस्व	26215	26215
		पूँजी		0
30.	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	436055	436055
		पूँजी	157310	157310
31.	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	86069	86069
		पूँजी	95356	95356
योग :			10387404	46621
				10434025

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव।